

भारत सरकार  
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 3032  
18 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

आंध्र प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन-शहरी का कार्यान्वयन

†3032. श्री जी. लक्ष्मीनारायण:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014-15 से आंध्र प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के अंतर्गत वर्ष-वार और जिला-वार कुल कितनी निधि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है;

(ख) एसबीएम-यू के अंतर्गत राज्य में निर्मित घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल), सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों की जिला-वार संख्या कितनी है और निर्धारित लक्ष्यों में से कितने लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं;

(ग) आंध्र प्रदेश में कितने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) ने क्रमशः ओडीएफ, ओडीएफ+ और ओडीएफ++ का दर्जा प्राप्त कर लिया है और कितने निकायों का प्रमाणन अभी भी लंबित पड़ा हुआ है;

(घ) राज्य में कार्यशील सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं (एमआरएफ), अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों और घर-घर जाकर अपशिष्ट एकत्रण कवरेज सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना की यूएलबी-वार स्थिति क्या है;

(ङ) क्या आंध्र प्रदेश के किसी यूएलबी ने हालिया स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग या नागरिक प्रतिक्रिया आकलन में स्वच्छता या ओडीएफ की स्थिति को बनाए रखने संबंधी संकेतकों में गिरावट दिखाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा एसबीएम 2.0 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में शहरी स्वच्छता संबंधी परिणामों में सुधार लाने हेतु खराब प्रदर्शन करने वाले शहरी स्थानीय निकायों को सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**  
**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**  
**(श्री तोखन साहू)**

(क): स्वच्छ भारत मिशन-शहरी वर्ष 2014 से आन्ध्र प्रदेश राज्य सहित देश के सभी शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। पहले चरण के तहत हुई प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, अक्टूबर, 2021 के दौरान एसबीएम-यू 2.0 शुरू किया गया।

एसबीएम-यू (2014-2021) के तहत आंध्र प्रदेश राज्य को 571.33 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिसमें से 567.36 करोड़ रुपये (99.31%) का केंद्रीय सहायता निधि जारी की गई। एसबीएम-यू 2.0 के तहत, राज्य को 1413.30 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता निधि आवंटित की गई, जिसमें से 1409.75 (99.74%) करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता वाली कार्य योजनाएँ अनुमोदित की जा चुकी हैं और आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा 302.75 (21.42%) करोड़ रुपये का दावा पहले ही किया जा चुका है।

एसबीएम-यू और एसबीएम-यू 2.0 के तहत राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) द्वारा विधिवत अनुमोदित राज्य सरकार से प्राप्त पूर्ण प्रस्ताव के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता निधि जारी की जाती है। इसलिए, मंत्रालय स्तर पर कोई जिला-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। आन्ध्र प्रदेश राज्य द्वारा दावा की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न है।

(ख) और (ग): आन्ध्र प्रदेश राज्य में, सभी शहरों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) प्रमाणित किया गया है। साथ ही, अब तक 119 शहरों को ओडीएफ+, 18 शहरों को ओडीएफ++ और 3 शहरों को जल+ प्रमाणित किया गया है। यह 1.93 लाख आईएचएचएल के मिशन लक्ष्य की तुलना में 2.43 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) के निर्माण के माध्यम से प्राप्त किया गया है और 21,464 सीटी/पीटी सीटों के मिशन लक्ष्य के सापेक्ष मूत्रालयों सहित सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों की 17,799 सीटों का निर्माण किया गया है।

(घ), (ङ) और (च): हाल ही में किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग और नागरिक प्रतिक्रिया आकलन के अनुसार, राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छता मानकों और ओडीएफ स्थिति को बनाए हुए है। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) के प्रबंधन में सुधार हेतु राज्य की

सहायता करने के लिए, 85.43 लाख टन पुराने अपशिष्ट के शोधन के लिए परियोजनाएं, 3064 टन प्रति दिन (टीपीडी) के अपशिष्ट से खाद संयंत्र, 165 टीपीडी के जैव-मिथेनेशन संयंत्र, 2954 टीपीडी की सामग्री रिकवरी सुविधाएं (एमआरएफ), 1685 टीपीडी के सैनिटरी लैंडफिल (एसएलएफ), 650 टीपीडी के निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों के साथ-साथ 107 मैकेनिकल रोड स्वीपर 458.18 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता को अनुमोदित कर दिया गया है। राज्य में पुरानी अपशिष्ट डंपसाइटों के साथ-साथ अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं का विवरण <https://sbmurban.org/swachh-bharat-mission-progress> पर देखा जा सकता है।

**अनुलग्नक**

" आंध्र प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन - शहरी का कार्यान्वयन" के संबंध में दिनांक 18.12.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3032 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

| क्रम. सं. | वित्तीय वर्ष | आंध्र प्रदेश द्वारा दावा की गई केन्द्रीय सहायता |
|-----------|--------------|---|
| 1         | 2014-15      | 40.00   |
| 2         | 2015-16      | 73.19   |
| 3         | 2016-17      | 204.11  |
| 4         | 2017-18      | 139.70  |
| 5         | 2018-19      | 52.87   |
| 6         | 2019-20      | 57.50   |
| 7         | 2020-21      | 0.00  |
| 8         | 2021-22      | 67.00   |
| 9         | 2022-23      | 231.69  |
| 10        | 2023-24      | 0.00  |
| 11        | 2024-25      | 4.06  |

\*\*\*\*\*